भारत सरकार
शहरी मामले और रोजगार मंत्रालय
भूमि और विकास कार्यालय
निर्माण भवनः नई दिल्ली

सं. 24(10)/76-सीडीएन दिनांक 15-7-98

कार्यालय आदेश सं. 7/98

विषयः भूमि और विकास अधिकारी द्वारा आबंटित भूखंडों पर विनिर्माण कार्यों में विलंब होने से संबंधित दिशा-निर्देशों के संबंध में।

भूमि और विकास अधिकारी द्वारा आबंटित भूखंडों पर विनिर्माण कार्यों में समय सीमा का विस्तार करने के संबंध में यूएंडएई मंत्रालय के दिनांक 1.3.1993 के कार्यालय ज्ञापन सं. एन.जे-16011/1/93-एलडी, के तहत जारी अनुदेशों को इस कार्यालय के दिनांक 31-3-1993 के कार्यालय ज्ञापन सं. 10/93 के तहत परिचालित किया गया था। अब इन अनुदेशों की एलएएंडई मंत्रालय द्वारा समीक्षा की गई है और एलएंडडीओ के पास मौजूदा पुनर्वास संपत्तियों के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि यदि पट्टाधारी द्वारा भूखंडों पर विनिर्माण कार्य करवाने में विलंब हो तो पट्टे की शर्तों के अनुसार प्रश्नगत भूखंडों की तत्काल पुनः प्रविष्टि शुरू करने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके प्रत्युत्तर में यदि पट्टाधारी समझौते के लिए आगे आए तो विभाग को पुनः प्रविष्टि वापस लेने की शर्तें पेश करनी चाहिए जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शास्तियां शामिल हो सकती हैं। शास्ति की धनराशि ऐसे मामलों में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वसूल की जा रही राशि के अनुरूप होगी। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वसूली जा रही शास्तियों की मौजूदा दरें अनुलग्नक-क में दी गई हैं। कंपोजिशन शुल्क के परिकलन के लिए डीडीए द्वारा प्रयुक्त की जा रही मानक प्रसंस्करण पत्र की प्रति भी संलग्न है (अनुबंध-ख)।

2. सांस्थानिक भूखंडों के संबंध में विनिर्माण के लिए समय विस्तार की अनुमति भूमि और विकास अधिकारी द्वारा मामला दर मामला आधार पर पांच वर्ष तक प्रदान की जाएगी और उसके उपरांत यह समय विस्तार केवल मंत्रालय की स्वीकृति पर ही प्रदान किया जाएगा। तथापि, ऐसा समय विस्तार प्रदान करने की अधिकतम अनुमत्य अवधि सभी मामलों में 10 वर्ष है और यदि इस अवधि के अंदर विनिर्माण कार्य नहीं करवाया जाता है तो आबंटन को रद्द कर दिया जाएगा और भूखंड को वैकल्पिक प्रयोग हेतु रखा जाएगा।

3. सभी शाखा अधिकारियों और अनुभागों को उपर्युक्त प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करने तथा तदनुसार मामलों पर कार्रवाई करने हेतु दिशा-निर्देश दिया जाता है। रिहायशी और सांस्थानिक भूखंडों के संबंध में विनिर्माण कार्य करवाने के लिए समय विस्तार हेतु सभी लंबित अनुरोधों पर कार्रवाई उपर्युक्त अनुदेशों के अनुसार की जाएगी।

4. सभी अनुभागों को यह दिशा निर्देश भी दिया जाता है कि वे ऐसे मामलों की पहचान करें जहां पट्टाधारी ने पट्टा विलेख में निर्धारित समय के अंदर पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है और उपर्युक्त पैरा (1) और (2) में यथोल्लिखित कार्रवाई शुरू करे।

ह/-
(डॉ राजेश कुमार)
भूमि एवं विकास अधिकारी

सभी अधिकारी/अनुभाग अधीक्षक।

रचना शुल्क की दरों (वर्ग मीटर)

I **<u>आवासीय संपत्तियां:-</u>**

वर्ष	आवासीय	औद्योगिक	वाणिज्यक	
			एलएससी/सीएससी से निम्न टर्न	सीसी/डीसी/एफसी से उच्च टर्न
1.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	5.00	5.00	5.00	5.00
5.	10.00	10.00	10.00	10.00
6.	50.00	60.00	90.00	180.00
7.	55.00	65.00	95.00	190.00
8.	60.00	70.00	100.00	200.00
9.	65.00	75.00	110.00	220.00
10.	70.00	80.00	120.00	240.00
11.	80.00	90.00	135.00	270.00
12.	85.00	95.00	140.00	280.00
13.	90.00	100.00	150.00	300.00
14.	95.00	105.00	155.00	310.00
15.	100.00	110.00	165.00	330.00
16.	125.00	145.00	220.00	440.00
17.	130.00	150.00	225.00	450.00
18.	135.00	155.00	230.00	460.00
19.	140.00	160.00	240.00	480.00
20.	145.00	165.00	250.00	500.00
21.	190.00	220.00	330.00	660.00
22.	195.00	225.00	340.00	680.00
23.	200.00	230.00	345.00	690.00
24.	205.00	235.00	350.00	700.00
25.	210.00	240.00	360.00	720.00

1. स्थानीय शॉपिंग सेंटर
2. सीसी-सामुदायिक केंद्र : डीसी-जिला केन्द्रः
   एफसी-सुविधा केंद्र